

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अलवर में पटवारी 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 20 सितम्बर, मंगलवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये भूपेन्द्र सिंह पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर को परिवादी से 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि के.सी.सी. के नो-ड्यूज को ऑनलाईन इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड में भूमि को बैंक से रहन मुक्त करने की एवज में भूपेन्द्र सिंह पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर द्वारा 8 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकांत के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर द्वितीय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह अहीर निवासी गांव जोड़िया, तहसील व थाना कोटकासिम, जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर को परिवादी से 8 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।